

फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : कंकु

किस्म मुकदमा –विविध आ.9नि.9

विपक्षी : चतरु

पत्रावली संख्या : 688 / 15

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक : 13.11.19</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित, अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया । पत्रावली को अवलोकन किया, दस्तावेजात का अध्ययन किया। मूल पत्रावली संख्या 170/12 प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। प्रकरण में दिनांक 19.3.2015 को प्रार्थीया मय अधिवक्ता अनुपस्थित रहने पर मूल अपील के साथ उक्त प्रार्थना पत्र भी अदम हाजरी में खारिज किया गया था। अधिवक्ता द्वारा दिनांक 14.09.2015 को ही मूल प्रकरण को नम्बर पर लिया जाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 के तहत प्रस्तुत कर दिया गया है। चूंकि प्रकरण में प्रार्थी का हित निहीत होने से प्रार्थीगण को सुना जाना न्यायहित में आवश्यक है। विपक्षी का यह कहना की प्रार्थी द्वारा 6 माह बाद यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, इसलिये खारिज किया जावे, चूंकि यह तकनीकी बिन्दू है एवं केवल इसी बिन्दू को आधार मानते हुए यदि प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है तो प्रार्थी के साथ न्याय नहीं होगा। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में रिश्तेदारी में मौत होने का कथन किया है। प्रार्थी की मूल अपील में प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 आज स्वीकार कर अपीलाण्ट की अपील को 1000/- एक हजार रूपया की कोस्ट पर स्वीकार कर ली गई है, अतः मूल अपील स्वीकार होने से टी.आई का प्रार्थना पत्र भी देरी की लिये कोस्ट पर स्वीकार किया जाना न्यायहित में उचित है।</p> <p style="text-align: center;">—: आदेश :—</p> <p>परिणामस्वरूप वाद प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 जा.दी. का 1000/- एक हजार रूपया कोस्ट पर स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय के प्र.स. 170/12 प्रा.पत्र कंकु बनाम चतरु में आदेश दिनांक 19.3.15 को अपास्त किया जाता है तथा मूल प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिया जाने का आदेश दिया जाता है। प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता उक्त कोस्ट की राशि 1000/- एक हजार रूपया राजकोष मे जरिये चालान जमा करा चालान की प्रति पत्रावली में पेश करे। प्रार्थना पत्र फ़ैसल सुमार होकर मूल पत्रावली के साथ संलग्न रहे।</p> <p style="text-align: center;">निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">(अक्षय गोदारा IAS) सहायक कलक्टर (SDO)मावली</p>	

